जय महाकाली रोलिंग मिल्स

बनाम

भारत संघ व अन्य

6 अगस्त, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और लोकेश्वर सिंह पांटा, जेजे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के तहत जारी संशोधन से संबंधित परिपत्र जहॉ तोड़े गए जहाज के स्क्रैप से बने बार और रॉड को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी- शब्द "अब" का उपयोग शब्द "छूट" के पूर्व उपसर्ग के रूप में किया जाता था। अभिनिर्धारित- "अब" शब्द का प्रभाव यह है कि ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा-संशोधन का उद्देश्य भविष्यलक्षी प्रभाव था।

शब्द और वाक्यांश-शब्द 'अब' और 'भूतलक्षी''-का अर्थ।

क़ानूनों की व्याख्या-भूतलक्षी क़ानून-अभिनिर्धारितः इसका अर्थ है एक कानून, जो संव्यवहारों या प्रतिफलों पर एक नया दायित्व अधिरोपित करता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 101/87-सीई दिनांक 27-03-1987 के संशोधन के संबंध में दिनांक 31-3-1987 का परिपत्र जारी किया

गया था, जिसमें तोड़े गए जहाज के स्क्रैप से बने बार और रॉड को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी।

वर्तमान अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा, वह यह है कि क्या संशोधन का उद्देश्य भविष्यलक्षी प्रभाव डालना था या भूतलक्षी प्रभाव डालना।

अपीलो को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

1.1. केवल परिपत्र को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका उद्देश्य भविष्यलक्षी प्रभाव डालना था। [पैरा 7] [858-ई]

1.2. दिनांकित 31.3.1987 के परिपत्र में यह कहा गया है कि "ऐसे तोड़े गए जहाज के स्क्रैप से बने बार और रॉड जैसे उत्पादों को "अब" उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी।" "अब" शब्द का प्रभाव यह है कि इसे तत्काल लागू करना है। यदि इसका आशय भूतलक्षी प्रभाव देना होता, तो इसे वहॉ विशेष रूप से कहा गया होता। [पैरा 8] [858-एफ]

2. "भूतलक्षी" का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना, अतीत के बारे में सोचना, किसी क़ानून या विचाराधीन क़ानून से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। भूतलक्षी कानून का अर्थ है एक ऐसा कानून जो पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; एक, जो कि इसके प्रवर्तन में आने के पूर्व उत्पन्न कार्यों या तथ्यों, या हितों को प्रभावित करने के लिए

बनाया गया हों। भूतलक्षी क़ानून का अर्थ है एक क़ानून, जो संव्यवहारों या प्रतिफलों एक नया दायित्व अधिरोपित करता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है। [पैरा 9] [858-जी-एच; 859-ए]

3. 27.3.1987 की अधिसूचना से संबंधित संशोधन द्वारा, जो उत्पाद जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था, उन्हें निवेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया और उन्हें शामिल किया गया है। ऐसा होने पर, यह तर्क कि संशोधन ने केवल अधिसूचना को स्पष्ट किया हैं जैसा कि वह संशोधन से पहले था, असमर्थनीय है।

[पैरा 10] [859-ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 5109/2002 गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के 2001 की एस.सी.ए. संख्या 2816 में निर्णय और आदेश दिनांक 15.1.2002 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 855/2006

ए. डी.मारू, भार्गव वी देसाई, राहुल गुप्ता, रीमा शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

बी. कृष्ण प्रसाद उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था।

डॉ. अरिजीत पासायत, जे. 1. इन अपीलों में गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और (स्वर्ण) नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय पीठ, मुंबई (संक्षेप में 'सी.ई.जी.ए.टी') के आदेशों के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

2. संक्षेप में 2002 की सिविल अपील संख्या.5109 की पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैः

अपीलार्थी को एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी अधिसूचना संख्या 208/83-सीई दिनांक 1.8.1983 के तहत प्रशुल्क वस्तु संख्या.25(9)(ii) के अंतर्गत आने वाले अंतिम उत्पाद पर छूट का हकदार नहीं था। आरोप था कि अपीलार्थी मैसर्स जय महाकाली रोलिंग मिल्स ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 6 सपठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में 'नियम') के नियम 174 और नियम 173-बी; 173-जी(4) सपठित 53; 173-जी (1) सपठित 9(1), 49, 52-ए, 173-जी(2) और 174-एफ; 173-एफ(3) सपठित 54 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और इस प्रकार से केंद्रीय उत्पाद शुल्क

के भुगतान से बचने के आशय से जानबूझकर मिथ्या कथन करके तथ्यों को छिपाकर नियम 173(क्यू) के उपनियम (1) के खंड (क), (ख), (ग) तथा (घ) में वर्णित प्रकृति का अपराध कारित किया है। इसलिए अपीलार्थी को कारण बताने के लिए कहा गया कि 3473.705.2.2 एम. टी उत्पाद शुल्क योग्य सामानों जैसे रोलिंग उत्पादों पर 23.8.1984 से 31.8.1987 कि अवधि में उत्पाद शुल्क दिए बिना उनका निर्माण किया आैर मंजूरी दी जिस पर नियमों के नियम 9 (2) सपठित धारा 11-ए की उपधारा (1) के परंतुक के अन्तर्गत के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राशि रूपये 12,67,006.19 उनसें क्यों ना वसूल किए जाए। उन्हें यह भी दिखाने की आवश्यकता थी कि नियमों के नियम 173-क्यू के उप नियम (1) के खंड (ए),(बी),(सी) और (डी) और नियम 9 (2) के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिये। जिसके जवाब में अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना संख्या 101/87-सीई. दिनांक 27.3.1987 में सामग्री को संशोधन के मद्देनजर निवेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि वहां तथ्यों को छुपाने का और कर्तव्यों की पालना न करने का दुराशय नहीं था। इसलिये जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है। आदेश को सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने अपील को खारिज कर दिया था। यह अभिनिर्धारित

किया गया कि 27.3.1987 की अधिसूचना में किए गए संशोधन भविष्यलक्षी आवेदन है और उसका भूतलक्षी आवेदन नहीं है जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है। और आगे निर्धारित किया गया कि जिन वस्तुओं को पहले शामिल किया गया था, उन्हें निर्दिष्ट किया गया था। इसलिए, यह मत कि संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक था, बिना किसी सार के है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि देय शुल्क को 27.3.1987 से 31.8.1987 तक देय शुल्क द्वारा घटाया जाना था, जिसकी राशि 2,28.898.80 थी। जुर्माने को घटाकर रूपये 75,000 कर दिया गया।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण और सी.ई.जी.ए.टी. के समक्ष उठाए गए पक्ष को दोहराया गया। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश में कहा कि इस तर्क को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है कि अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने का इरादा था। रिट याचिका खारिज कर दी गई।

4. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने बताया कि प्राधिकरण, सी.ई.जी.ए.टी. और उच्च न्यायालय के विचार को बनाए नहीं रखा जा सकता है। अधिसूचना संख्या 101/87-सी.ई. दिनांकित 27.3.1987 द्वारा लाया गया संशोधन केवल स्पष्टीकरणात्मक था। सी.ई.जी.ए.टी. ने

गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिसूचना भविष्यलक्षी प्रभाव के लागू किया गया था। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री ने इसके विपरित इंगित किया। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने निचली अदालतों और उच्च न्यायालय के आदेशों का समर्थन किया।

5. 31.3.1987 दिनांकित परिपत्र इस प्रकार हैः

सी.बी.एस.ई.

सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क पर परिपत्र एवं स्पष्टीकरण

सीमा शुल्क परिपत्र

एफ.सं.374/71/86-टीआरयू दिनांक 31.3.1987

एम. ओ. वित्तीय. (राजस्व विभाग)

विषयः शीर्षक संख्या 89.08 के तहत जहाजो को तोड़ने के संबंध में सीमा शुल्क संरचना में परिवर्तन और शीर्षक संख्या 72.15 और 73.09 के तहत टूटे हुये जहाज के कबाड के उत्पाद शुल्क संरचना के संबंध में

सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 142/87 से 143/87 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 101/87 से 103/87, दिनाकिंत 27 मार्च, 1987 के अनुसार जहाजो को तोड़ने के सीमा शुल्क संरचना के संबंध में

और जहाजो को तोडने के उत्पाद शुल्क संरचना के संबंध में कुछ बदलाव किए गए हैं।

XXX

6. इस प्रकार, ऐसे जहाज के कबाड को तोडकर बने विभिन्न उत्पाद जैसे बार और रॉड अब उत्पाद शुल्क से मुक्त होगा।

7. केवल परिपत्र को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका उद्देश्य भविष्यलक्षी प्रभाव रखना था।

8. यह ध्यान देने योग्य है कि दिनांकित 31.3.1987 परिपत्र में यह कहा गया है कि इस तरह के तोडे गये जहाज के कबाड से बने बार और रॉड जैसे उत्पाद "अब" उत्पाद शुल्क से मुक्त होंगे। "अब" शब्द का प्रभाव यह है कि इसे तत्काल लागू करना है यदि इसका आशय भूतलक्षी प्रभाव देना होता, तो इसे वहॉ विशेष रूप से कहा गया होता।

9. "भूतलक्षी" का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना, अतीत के बारे में सोचना, किसी क़ानून या विचाराधीन क़ानून से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। भूतलक्षी कानून का अर्थ है एक ऐसा कानून जो पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; एक, जो कि इसके प्रवर्तन में आने के पूर्व उत्पन्न कार्यों या तथ्यों, या हितों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया हों। भूतलक्षी क़ानून का अर्थ है एक क़ानून, जो संव्यवहारों या

प्रतिफलों पर एक नया दायित्व अधिरोपित करता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

10. 27.3.1987 की अधिसूचना से संबंधित संशोधन द्वारा, जो उत्पाद जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था, उन्हें निवेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया और उन्हें शामिल किया गया है। ऐसा होने पर, यह तर्क कि संशोधन ने केवल अधिसूचना को स्पष्ट किया हैं जैसा कि वह संशोधन से पहले था, असमर्थनीय है।

11. उच्च न्यायालय के आदेश को किसी अन्य कोण से देखने पर किसी अवैधता से ग्रस्त नही होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपील खारिज की जाती है।

12. 2002 की सिविल अपील संख्या 5109 की खारिजी को देखते हुए, 2006 की सिविल अपील संख्या 855 खारिज की जाती है।

बी.बी.बी. अपीलें खारिज कर दी गईं

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तापस सोनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।